

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. ईसीआई/पीएन/207/2025

04.05.2025

प्रेस नोट

भारत निर्वाचन आयोग जल्द ही हितधारकों के लिए एक एकल-बिंदु ऐप लॉन्च करेगा; मौजूदा 40 से अधिक आईटी ऐप्स को इस उन्नत यूआई/यूएक्स वाले ऐप में शामिल किया जाएगा

नया ईसीआई-नेट नागरिकों के लिए चुनावी सेवाएं सुगम बनाएगा; चुनाव पदधारियों को डेटा प्रबंधन में आसानी और सुविधा होगी

एक प्रमुख पहल के तहत, भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचकों और इनके अन्य हितधारकों जैसे चुनाव पदधारियों, राजनीतिक दलों और नागरिक समाज के लिए एक नया उपयोगकर्ता-अनुकूल डिजिटल इंटरफेस विकसित कर रहा है। यह नया वन-स्टॉप प्लेटफॉर्म, ईसीआई-नेट, आयोग के 40 से अधिक मौजूदा मोबाइल और वेब एप्लिकेशनों को एकीकृत करेगा और अनुकूल (reorient) बनाएगा।

ईसीआई-नेट में एक सुंदर यूजर इंटरफेस (यूआई) और एक सरलीकृत यूजर एक्सपीरियंस (यूएक्स) होगा, जो चुनाव-संबंधित सभी गतिविधियों के लिए एक एकल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगा। यह प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं को कई ऐप डाउनलोड करने और नेविगेट करने तथा अलग-अलग लॉगिन याद रखने के बोझ को कम करने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है।

इस प्लेटफॉर्म की परिकल्पना भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) श्री ज्ञानेश कुमार ने निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधु और निर्वाचन आयुक्त डॉ. विवेक जोशी की उपस्थिति में मार्च 2025 में आयोजित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) के सम्मेलन के दौरान की थी।

ईसीआई-नेट उपयोगकर्ताओं को अपने डेस्कटॉप या स्मार्टफोन पर सुसंगत चुनावी डेटा तक पहुँचने में भी सक्षम बनाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि डेटा यथासंभव सटीक है, ईसीआई-नेट पर डेटा केवल आयोग के अधिकृत पदधारी द्वारा दर्ज किया जाएगा। संबंधित पदधारी द्वारा की गई प्रविष्टि से यह सुनिश्चित होगा कि हितधारकों को उपलब्ध कराया गया डेटा यथासंभव सटीक है। हालांकि, किसी भी विवाद के मामले में, सांविधिक फॉर्मों में विधिवत भरा गया प्राथमिक डेटा ही मान्य होगा।

ईसीआई-नेट में वोटर हेल्पलाइन ऐप, वोटर टर्नआउट ऐप, सी-विजिल, सुविधा 2.0, ईएसएमएस, सक्षम और केवाईसी ऐप जैसे मौजूदा ऐप शामिल होंगे, जिन्हें कुल मिलाकर 5.5 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है (ऐप्स की पूरी सूची संलग्न है)। ईसीआई-नेट से लगभग 100 करोड़ निर्वाचकों और सम्पूर्ण चुनावी तंत्र को फ़ायदा मिलने की उम्मीद है, जिसमें देश भर के 10.5 लाख से ज्यादा बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ), राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त लगभग 15 लाख बूथ लेवल एजेंट (बीएलए), लगभग 45 लाख मतदान पदधारी, 15,597 सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईईआरओ), 4,123 ईआरओ और 767 ज़िला चुनाव अधिकारी (डीईओ) शामिल हैं।

ईसीआई-नेट पहले ही अपने विकास के उन्नत चरण में पहुँच चुका है और इसकी सुचारू कार्यक्षमता, उपयोग में आसानी और मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए कठोर परीक्षण किए जा रहे हैं। इसे सभी राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के 36 सीईओ, 767 डीईओ और उनके राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के 4,123 ईआरओ को शामिल करके एक विस्तृत परामर्शी प्रयोग करने के साथ-साथ समय-समय पर आयोग द्वारा जारी चुनावी ढांचे, अनुदेशों और पुस्तिकाओं के 9,000 पृष्ठों वाले 76 प्रकाशनों की समीक्षा करने के बाद विकसित किया जा रहा है।

ईसीआई-नेट के माध्यम से उपलब्ध कराए गए आंकड़े लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, 1951, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 तथा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 और आयोग द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों द्वारा स्थापित कानूनी ढांचों के सख्त दायरे के भीतर होंगे तथा इसके अनुरूप होंगे।

ह./-

पी. पवन

उप निदेशक

भारत निर्वाचन आयोग के मौजूदा 40 एप्लिकेशनों की सूची

क्र. सं.	एप्लिकेशन	प्रकार
1.	शपथ-पत्र पोर्टल	वेब
2.	भारत ए वेब	वेब
3.	परिणाम वेबसाइट	वेब
4.	चुनाव 24 (संग्रह)	वेब
5.	ईसीआई स्वीप	वेब
6.	ईसीआई वेबसाइट	वेब
7.	फेम्बोसा	वेब
8.	वॉयसनेट	वेब
9.	मिथक बनाम वास्तविकता	वेब
10.	चुनाव रुझान टीवी	वेब
11.	सी-विजिल पोर्टल	वेब
12.	ईएमएस	वेब
13.	आरटीआई पोर्टल	वेब
14.	एनकोर	वेब
15.	मीडिया वाउचर	वेब
16.	सुविधा पोर्टल	वेब
17.	ऑब्जर्वर पोर्टल	वेब
18.	निर्वाचन योजना	वेब
19.	आईईएमएस	वेब
20.	पीपीआरटीएमएस	वेब

क्र. सं.	एप्लिकेशन	प्रकार
21.	ईआरओ-नेट 2.0	वेब
22.	मतदाता सेवा पोर्टल	वेब
23.	सेवा मतदाता पोर्टल	वेब
24.	ईटीपीबीएमएस	वेब
25.	एनजीएसपी	वेब
26.	निर्वाचक खोज	वेब
27.	ईआरओ-नेट ऐप	मोबाईल
28.	बीएलओ ऐप	मोबाईल
29.	सी-विजिल ऐप	मोबाईल
30.	डिसाइडर ऐप	मोबाईल
31.	एनकोर नोडल ऐप	मोबाईल ऐप
32.	ईएसएमएस ऐप	मोबाईल
33.	जांचकर्ता (इनवेस्टिगेटर) ऐप	मोबाईल
34.	केवाईसी ऐप	मोबाईल
35.	मॉनीटर ऐप	मोबाईल
36.	ऑब्जर्वर ऐप	मोबाईल
37.	सक्षम ऐप	मोबाईल
38.	सुविधा ऐप	मोबाईल
39.	मतदाता हेल्पलाइन ऐप	मोबाईल
40.	वोटर टर्नआउट ऐप	मोबाईल

आयोग के राजभाषा प्रभाग द्वारा अनूदित